रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1272]	नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 6, 2005/अग्रहायण 15, 1927
No. 1272]	NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 6, 2005/AGRAHAYANA 15, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2005

का.आ. 1725(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूंचना सं. का.आ. 251(अ), तारीख 25 फरवरी, 2004 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 सी से संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची में, क्रम सं. 34एएबी और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :---

ŧ	गरणा
राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
2	3
45सी	तंजावुर के समीप रा.रा. 67 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर कुम्बाकोणम, सेथियाथोप, नयेवेली टाउनशिप, वादालूर, पानरूटी को जोड़ते हुए और विकरावंदी के समीप रा.रा. 45 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग''।
	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2

[फा. सं. एनएच-14012/7/2004-पी एंड एम (पीटी)] प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2005

S.O. 1725(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways No. S. O. 251(E) dated the 25th February, 2004, namely :—

In the Table to the said notification for serial No. 34AAB in the Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) relating to National Highway No. 45C and the entries relating thereto, the following scrial number and entries shall be substituted, namely :---

TABLE				
Serial No. in the S National Highway (48 of 1956)		National Highway number	Description of National Highway	
1		2	3	
"34 AAB		45C	The Highway starting from its junction with NH 67 near Thanjavur connecting Kumbakonam, Sethiathope, Neyveli Township, Vadalur, Panruti and terminating at its junction with NH 45 near Vikravandi".	
	<u></u>		[F No. NH-14012/7/2004-P&M(PT)]	
			PRABHAKAR, Dy. Secy.	

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2005

का.आ. 1726(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग 45सी (तंजावुर के समीप रा.रा. 67 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर कुम्बाकोणम्, सेथियाथोप, नयेवेली टाउनशिप, वादालूर, पानरूटी के समीप रा.रा. 45 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है।

[फा. सं. एनएच-14012/7/2004-पी एंड एम (पीटी)]

प्रभाकर, उप-सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2005

S.O. 1726(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrust National Highway No. 45C (The Highway starting from its junction with NH 67 near Thanjavur connecting Kumbakonam, Sethiathope, Neyveli Township, Vadalur, Panruti and terminating at its junction with NH 45 near Vikravandi) to the National Highway Authority of India.

[F. No. NH-14012/7/2004-P&M (PT)]

PRABHAKAR, Dy Secy

2